मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस विधेयक पर चर्चा के बाद अपना जवाब देते हुए कहा कि जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय खुलने से पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को अपने निकट ही बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं एवं सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही 16 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है तथा दौसा, बूंदी, करौली, अलवर और हनुमानगढ़ ज़िलों में भी इसी वर्ष मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार तीन ज़िलों- जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में अपने वित्तीय संसाधनों से भी मेडिकल कॉलेज खोल रही है।
- जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय को शीघ्र संचालित करने के लिये 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति देने के साथ ही पद भी सृजित कर दिये गए हैं।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें भी 750 से बढ़कर 3 हज़ार 230 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर चिकित्सक नियुक्त किये गए हैं।
- इससे पहले विधेयक को जनमत जानने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/marwar-medical-university-bill-2023-passed-by-voice-vote